इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2026

#CRACKDOWN

- **मात्र 2.30 (ढाई घण्टे) में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ मे किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा घटना से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य/वस्त्र बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीश्चन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन के नेतृत्व में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.07.2026 को ग्राम मामन निवासी वादी द्वारा थाना ऊसराहार पर सूचना दी गयी कि उसकी लगभग 08 वर्षीय बालिका अपने गांव के बाहर साइकिल चला रही थी। उसी गांव का निवासी रामनिवास पुत्र रामसेवक उसे धनराशि दिलाने का प्रलोभन देकर पास स्थित बाग में ले गया, जहां उसके साथ गलत काम किया गया। सूचना पर तत्काल थाना ऊसराहार पर **मु0अ0सं0 118/2026 धारा 65 (2), 352 बीएनएस एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया।

नोट:- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीश्चन्द्र एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना ऊसराहार से पुलिस टीमों का गठन किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं थाना ऊसराहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2026 से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना ऊसराहार पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कहीं जाने की फिराक में तहसील के पास खड़ा हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त रामनिवास पुत्र रामसेवक को पकड़ लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा घटना से संबंधित साक्ष्यों को छिपाने के उद्देश्य से उन्हें **कुछ दूरी पर झाड़ियों में** छिपाकर रखने की जानकारी दी गई।

अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम जब उक्त स्थान पर साक्ष्य बरामदगी हेतु पहुंची, तभी अभियुक्त द्वारा छिपा हुआ तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया तथा मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी/पुलिस मुठभेड के संबंध मे थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 119/2026 धारा 121(1), 109, 262 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. रामनिवास पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम मामन थाना ऊसराहार जनपद इटावा **उम्र करीब 35 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 118/2026 धारा 65(2), 352 बीएनएस एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट, थाना ऊसराहार, जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 119/2026 धारा 121(1), 109, 262 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना ऊसराहार, जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 खोखा कारतूस
3. 01 जिंदा कारतूस
4. घटना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्त्र/भौतिक साक्ष्य।

पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र मिश्रा थाना ऊसराहार मय टीम।